रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2873] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939
No. 2873] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3288(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष
 डी-9, 74 बंगला,
 भोपाल - 462003,
 मध्य प्रदेश ।

2. श्री आर.के शर्मा, सदस्य
 39, रघुनाथ नगर, निकट शाहपुरा थाना,
 भोपाल - 462039, मध्य प्रदेश

3. कार्यकारी निदेशक, सदस्य सचिव
 पर्यावरणीय योजना और समन्वय
 संगठन (ईपीसीओ) पर्यावरण परिषद्,
 ई-5, अरेरा कॉलोनी,
 भोपाल - 462016, मध्य प्रदेश

2. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश, उक्त अधिसूचना में यथा प्रगणित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा ।

4. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के पश्चात् अपना निर्णय लेगा ।

5. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, मध्य प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	मोहम्मद कासम खान भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) एफ-402, रेगालिया हाइट्स, अहमदाबाद पैलेस रोड, कोह ई फिजा, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश	अध्यक्ष
2.	डॉ. मोहम्मद अकरम खान सी-156, बीडीए कॉलोनी, कोह ई फिजा, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश	सदस्य
3.	डॉ. ए. के. शर्मा मकान सं.- 61, फेज-1, रिविएरा शहर, निकट माता मंदिर, भोपाल – 462003, मध्य प्रदेश	सदस्य
4.	डॉ. रुबिना चौधरी ऊर्जा और पर्यावरणीय अध्ययन विद्यालय, इंजीनियरी विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड, इंदौर – 452017, मध्य प्रदेश	सदस्य
5.	डॉ. सोनल मेहता 11/6 पर्ल शालीमार एन्क्लेव, ई-3, अरेरा कॉलोनी, पारस सिटी के सामने, भोपाल – 462015, मध्य प्रदेश	सदस्य
6.	श्री प्रशांत श्रीवास्तव डुप्लेक्स – 145, फेज-I, शीतल मेगा सिटी, गज्जू-पिपलिया रोड, मंडीदीप, रायसेन – 462046, मध्य प्रदेश	सदस्य
7.	डॉ. जय प्रकाश शुक्ला जल संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी समूह, सीएसआईआर - उन्नत सामग्री और प्रक्रिया संसाधन अनुसंधान संस्थान भोपाल – 462064, मध्य प्रदेश	सदस्य
8.	श्री रामेश्वर महेश्वरी 182 (एम) कथिवाला टैंक, इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश	सदस्य
9.	सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल – 462016, मध्य प्रदेश	सचिव

IndiaCode

6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश, उक्त अधिसूचना में यथा प्रगणित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी ।

8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और इसका अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य बनाने का प्रयास करेगा तथा यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जाता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी ।

9. मध्य प्रदेश सरकार, प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के लिए एक अभिकरण को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और तथा सचिवालय प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के सभी कानूनों कृत्यों के सम्बन्ध में आवास परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता उपलब्ध कराएगा ।

10. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013/63/2007-आईए-II(I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2017

S.O. 3288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely:—

1. Shri Rakesh Kumar Shrivastava -Chairman;
 D-9, 74 Bangalow,
 Bhopal - 462003, Madhya Pradesh

2. Shri R. K. Sharma -Member;
 39, Raghunath Nagar, Near Shahpura Thana, Bhopal - 462039,
 Madhya Pradesh

3. Executive Director, -Member Secretary.
 Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO),
 Paryavaran Parisar,
 E- 5, Arera Colony,
 Bhopal - 462016, Madhya Pradesh

2. The Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.

4. The Authority, Madhya Pradesh shall take its decision after the recommendations of the State Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Madhya Pradesh.

5. To assist the Authority, Madhya Pradesh, the Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as the SEAC, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely:—

1. Mohd. Kasam Khan -Chairman;
 Indian Forest Services (Retired)
 F-402, Regalia Heights,
 Ahmadabad Palace Road, Koh e Fiza,
 Bhopal - 462001, Madhya Pradesh

2.	Dr. Mohd. Akram Khan C-156, BDA Colony Koh e Fiza, Bhopal - 462001, Madhya Pradesh	-Member;
3.	Dr. A. K. Sharma House No. 61, Phase-1, Riviera Towne, Near Mata Mandir, Bhopal - 462003, Madhya Pradesh	-Member;
4.	Dr. Rubina Chaudhary School of Energy and Environmental Studies, Faculty of Engineering Sciences, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Takshshila Campus, Khandwa Road, Indore - 452017, Madhya Pradesh	-Member;
5.	Dr. Sonal Mehta 11/6 Pearl Shalimar Enclave, E-3, Arera Colony, Opp. Paras City, Bhopal - 462015, Madhya Pradesh	-Member;
6.	Shri Prashant Srivastava Duplex- 145, Phase-I, Sheetal Mega City, Gajju-Pipaliya Road, Mandideep, Raisen - 462046, Madhya Pradesh	-Member;
7.	Dr Jai Prakash Shukla Water Resource Management and Rural Technology Group, CSIR-Advanced Material and Process Research Institute, Bhopal- 462064, Madhya Pradesh	-Member;
8.	Shri Rameshwar Maheshwari 182 (M) Kathiwala Tank, Indore-452001, Madhya Pradesh	-Member;
9.	Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board E-5, Arera Colony, Paryavaran Parisar, Bhopal-462016, Madhya Pradesh	-Secretary.

IndiaCode

6. The Chairman and Members of the SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Notification.

8. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and its Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh and the SEAC, Madhya Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[F. No. J-11013/63/2007-IA-II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.12 15:43:06 +05'30'